पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

जहाँ है हरियाली
वहाँ है खुशहाली।

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./06/32/2015/एफ.सी./781

दिनॉक: 15-9-15

सेवा में,

विशेष सचिव (वन)
उत्तर प्रदेश शासन
बापू भवन, लखनऊ

विषय : फिरोजाबाद जनपद में शिकोहाबाद–मैनपुरी मार्ग (एस0एच0–84) किमी0 4–5 के मध्य बायी पटरी पर ग्राम कंथरी के खसरा संख्या–820, 821/1, 822/2 पर एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0751 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 02 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ : विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– पी024/14–2–2015–800(82)/2015, दिनांक– 12.08. 2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र का संदर्भ लेते हुए सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव के निरिक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में त्रुटियॉ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित है–

1. प्रस्ताव का भाग–।। मुख्य प्रस्ताच से अलग है, और दोनों में ही पृष्ठ संख्या नही दी गयी है।
2. भाग–2 के बिन्दु संख्या–13 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की आर्थिक बजट रूपये–23.23 लाख का है लेकिन पृष्ठ–43 पर संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में कुल लागत रूपये–2.43170 लाख (ब्रिक गार्ड के साथ 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु) दर्शायी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण के स्थान का ब्यौरा भी उपलब्ध नही कराया गया है।
3. भाग–।। के बिन्दु संख्या–13(iii) प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का भूसंदर्भित डिजीटल मानचित्र जमा नही किया गया है।
4. भाग–2 के बिन्दु संख्या–4 (ii) के अनुसार वानस्पति घनत्व का ब्यौरा एवं वृक्षों की संख्या संयुक्त निरिक्षण रिर्पोट के ब्यौरे के साथ मेल नही खाती है।
5. प्रस्ताव में कुल वृक्षों की सूची एवं पातन होने वाले वृक्षों का ब्यौरा नही दिया गया है।
6. भाग–3 में संबंधित मुख्य वन संरक्षक की मुहर नही लगी हुई है।
7. भाग–IV को सक्षम प्राधिकरण द्वारा भरा नही गया है।
8. भाग–V में हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का न तो नाम लिखा है न ही पदनाम और न ही मुहर लगी हुई है।
9. वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित प्रमाण पत्र बिना संदर्भित संख्या एवं दिनांक के प्रस्तुत किया गया है।
10. पृष्ठ 12 में प्रस्तावित वन भूमि की गणना सही नही है एवं ले आउट के ब्यौरे एवं मानचित्र से मेल नही खाती है।
11. पृष्ठ 13 में वैकल्पिक भूमि से संबंधित प्रमाण पत्र रेंज अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है जो कि मान्य नही है।
12. पृष्ठ 14 में संलग्न प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नही है।

13. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में नही है एवं उसमें संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी का नाम एवं मुहर अंकित नही है।
14. पृष्ठ 17, 37 एवं 38 में संलग्न प्रमाण पत्र में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी का नाम एवं मुहर अंकित नही है।
15. पृष्ठ 31 में संलग्न प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नही है।
16. एन0पी0वी0 की गणना का ब्यौरा उपलब्ध नही कराया गया है।
17. पृश्ठ 45 में संलग्न मानचित्र में शीर्षक एवं सारिणी नही दी गयी है।

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव मूल रूप में वापस किया जाता है।

भवदीय,

संलग्नक– मूल प्रस्ताव

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर, उ0 प्र0।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद, उ0प्र0
4. क्षेत्रीय प्रबन्धक, एस्सार ऑलय लि0, बी–2/373, विशाल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
5. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली ।

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक– 672/11सी–फिरोजाबाद, दिनांक, लखनऊ, सितम्बर 21, 2015

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा चिन्हित सूचनायें/अभिलेख पूर्ण करने हेतु प्रस्ताव की मूल प्रतियॉ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रस्ताव की मूल प्रतियॉ किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं भारत सरकार द्वारा चिन्हित सूचनाओं/अभिलेखों का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को **शीघ्रतिशीघ्र** उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, **फिरोजाबाद** को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा चिन्हित सूचनाओं/अभिलेखों का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, आगरा को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

टेरीटरी सेल्स मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, सेक्टर–3, नोएडा, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि वांछित सूचना/अभिलेख प्रभागीय निदेशक, फिरोजाबाद को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

21/9/15

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।